न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 178/2016

जगजीतसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह पुत्र गुरदेवसिंह वल्द केहरसिंह जाति जटसिख निवासी अबुल खुराणा तहसील मलोट जिला मुक्तसर (पंजाब) —अपीलार्थी

बनाम

1. चूहडसिंह पुत्र बख्तावरसिंह जाति जटसिख निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखमन्द्रकौर पत्नी सुखदेवसिंह जाति जटसिख निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. जसविन्द्रकौर पत्नी जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 29.07.2016

उपस्थित—

श्री चरणदास कम्बोज अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मनोहरलाल सहारण अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय दिनांक 31.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/प्रार्थी/अपीलार्थी ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा. का.अ.की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर केहरसिह के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए कथन किया कि प्रार्थी के दादा केहरसिंह के नाम चक 43 पीटीपी के खाता संख्या 22, चक 42 पीटीपी के खाता संख्या 13 व चक 41 पीटीपी के खाता संख्या 16 में क्रमशः 41 बीघा में 606 हिस्सा, 4.12 बीघा में 406 हिस्सा व 26.08 बीघा में 406 हिस्सा भूमि है। उक्त रकबा बाद में प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 की

3/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपमद क व ख में पैमूद हुआ। प्रार्थी के परदादा के हक व हिस्सा की आराजी मद संख्या 5 की उपमद क से ग में दर्ज हुई। किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली। अप्रार्थीगण उक्त भमि का आगे हस्तान्तरण करने की फिराक में है। यदि ऐसा करने में वे सफल हो गये तो प्रार्थी/वादी के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे विवादित भूमि को रहन बैय आदि द्वारा अन्तरण नहीं करें।

अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार है जिनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, प्रार्थीगण का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 29.07.2016 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण ने कूटरचित रिकार्ड के आधार पर राजस्व रेकार्ड में भूमि अपने नाम से दर्ज करवा ली है जिसका लाभ उठाते हुए अप्रार्थीगण भूमि को आगे रहन, बैय व मुन्तकिल करना चाहते हैं। यदि ऐसा करने में वे सफल हो गये तो वादी/अपीलार्थी के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में मुख्य रूप से जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो. अभिलिखित खातेदार है जिनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । प्रार्थी का किसी प्रकार

31/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

से मामला नहीं बनता था। अधी.न्यायालय ने सभी तथ्यों पर विचार के पश्चात प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि अप्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर भूमि का राजस्व रेकार्ड में अंकन करवा लिया है। इसका निर्णय तो मूल वाद में साक्ष्य आने के पश्चात होगा, इस बाबत पक्षकारों में कोई विवाद नहीं है कि राजस्व रेकार्ड मे भूमि अप्रार्थीगण/रेस्पों. के नाम से दर्ज है। यदि वाद के निर्णय से पूर्व भूमि का किसी प्रकार से हस्तान्तरण हो जाता है तो अनावश्यक रूप से विवाद बढ़ने की सम्भावना रहेगी एवं प्रार्थी/अपीलांट के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। इसके अलावा अधी. न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधी. न्यायालय ने दिनांक 30.01.2013 को प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी जो अपीलाधीन आदेश के साथ ही निरस्त कर दी थी। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधी. न्यायालय को प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने काजो आदेश दिया है वह न्यायोचित नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2016 निरस्त किया जाता है एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आरटीए स्वीकार कर अधी.न्यायालय द्वारा दिनांक 30.01.2013 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक पुष्ट की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर